फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

हड़मतसिंह वगैरा बनाम **तहसीलदार गिड़ा वगैरा**

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 236/16 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.11.16	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थी की पैतृक कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा लापून्दड़ा मलवेचान पटवार मण्डल लापुन्दड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थी व अन्य बेदखल करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 20.12.2016 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा लापून्दड़ा मलवेचान पटवार मण्डल लापुन्दड़ा के खसरा नम्बर 47, 71, 97, 94, 96 रकबा क्रमशः 30.08, 60.19, 105.19, 00.08, 00.10 बीघा कुल रकबा 197.14 बीघा भूमि में न ही विप्रार्थी स्वयं या अन्य कोई किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं करें, न ही किसी प्रकार की बेदखली की कार्रवाही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 20.12.2016 को पेश हों। 21/XI/16 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

20/12/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते दिनांक 13/02/17 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

13/02/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रार्थी वकील द्वारा उक्त राजस्व दावा Not press किया गया। अतः प्रार्थी का दावा जरिये Not press खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Not press